कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004
//आदेश//

भोपाल, दिनांक : 30-09-22

क्रमांक 1241/231/आउशि/शाखा–5'अ'/2022 :: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातक स्तर के परीक्षा परिणाम घोषित करने के संबंध में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक के साथ दिनांक 22.09.2022 को आयोजित वर्चुअल बैठक का मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी कार्यवाही विवरण भोपाल दिनांक 29.09.2022 के बिन्दु क्रमांक 14 में दिये गए निर्देश के परिपालन में निम्नानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जाए।

बिन्दु क्रमांक 14 में दिये गए निर्देश के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के पालन में स्नातक स्तर के नियमित एवं स्वाध्यायी विद्यार्थियों के सैद्धांतिक विषय (आंतरिक एवं बाहय मूल्यांकन) के अंकों को जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। तदनुसार क्रेडिट अंक निर्धारित होंगे। विद्यार्थियों को विषयवार निर्धारित आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

इसी अनुक्रम में आधार पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्रों में दोनों विषयों के प्राप्तांको को जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। सत्र 2021–22 की वार्षिक परीक्षा में किसी विशेष कारणों से वंचित विद्यार्थियों को परीक्षा देने का एक विशेष अवसर दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्तानुसार निर्णय एवं निर्देश के अनुक्रम में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(दीपक सिंह)
आयुक्त
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर 452001

क./पृष्ठां/शैक्ष./अधि./2022/2317 इन्दौर,दिनांक 21 OCT 2022

प्रतिलिपि :–

1. प्राचार्य/प्राचार्या समस्त महाविद्यालय, दे.अ.वि.वि.इन्दौर।
2. विभागाध्यक्ष, आय.टी. सेन्टर की ओर इस निवेदन के साथ की वे इस अधिसूचना को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें ।
3. परीक्षा नियंत्रक, दे.अ.वि.वि. इन्दौर ।
4. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक ।
6. सम्बन्धित सहायक संकाय (परीक्षा/गोपनीय)
7. निदेशक,महाविद्यालयीन विकास परिषद दे.अ.वि.वि. इन्दौर ।
8. डीन, छात्र कल्याण दे.अ.वि.वि. इन्दौर ।

कुलसचिव